न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 42/2017

प्रार्थी :— **बनाम** **अप्रार्थीः—**

सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

1. पोकरराम पुत्र हरदीन जाति जाट के का.मु.
   1/1 मोतीराम पुत्र पोकरराम
   1/2 दीनाराम पुत्र पोकरराम
   1/3 मंगलाराम पुत्र पोकरराम
   1/4 देवाराम पुत्र पोकरराम
   1/5 सुपादेवी पुत्री पोकरराम
   1/6 केलीदेवी पुत्री पोकरराम
   1/7 कोयली पत्नी पोकरराम निवासीगण बस्सी, तहसील जैतारण जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

प्रार्थी की ओर से श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

—:: आदेश ::—

दिनांक : 27-5-19

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु ।। तहसील जैतारण में अप्रार्थी स्व. पोकरराम पुत्र हरदीन कौम जाट को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 1 कुल रकबा 2013 बीघा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी की भूमि में से 5 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया है, किए गए उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्ड़ल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार ने आवंटी पोकरराम के फौत हो जाने से उसके वारिशान को पक्षकार नियोजित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

सरक़ारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु II तहसील जैतारण में अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत खसरा नम्बर 1 किस्म गैर मुमकिन नदी में से रकबा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, जिसके बट्टा नम्बर 1/37 पडे है। जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार खसरा नम्बर 1 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिस में से आवंटन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व/98/290 दिनांक 25.04.2000 के द्वारा दस वर्ष की अवधि के लिए 24/– रू. वार्षिक लीज पर किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1133 दिनांक 22.01.2001 दर्ज किया गया। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से उक्त आवंटन विधि सम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय से प्रभावित होने से उक्त निर्णय की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 1133 दिनांक 22.01.2004 को भी निरस्त करवाकर पुनः आराजी को गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को ग्राम आनन्दपुर कालु, पटवार हल्का आनन्दपुर कालु II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1 में से 5 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. नदी में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जरिये आदेश क्रमांक राजस्व/98/290 दिनांक 25.04.2000 के राज. भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने तथा पम्पिंग सेट लगाने के लिए भूमी का आवंटन) नियम 1979 के तहत 24/– रू. प्रति वर्ष लीज पर 10 वर्ष के लिए किया गया था। उक्त आवंटन ग्राम आनन्दपुर कालु चक II के खसरा नम्बर 1/37 गै.मु. नदी में से 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1133 दिनांक 22.01.2004 दर्ज किया गया एवं आवंटी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 1 दर्ज है, जो बाद में जमाबन्दी में बट्टा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 1/37 दर्ज हुआ है। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के आदेश क्रमांक राजस्व/98/290

जिला कलेक्टर, पाली

दिनांक 25.04.2000 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1133 दिनांक 22.01.2004 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी पोकरराम पुत्र हरदीन कौम जाट, निवासी बस्सी, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक राजस्व/98/290 दिनांक 25.04.2000 द्वारा किया गया आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1133 दिनांक 22.01.2004 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.बेरा को पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली